

् असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकासित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] No. 217] नई दिल्ली, गुक्रवार, अर्प्रेल 22, 1988/वैशाख 2, 1910 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 1988/VAISAKHA 2, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था को जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशत मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

ऋबि*प्तराप*

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1988

साकानिः 485(য়)...-केन्द्रीय सरकार प्रणासनिक प्रक्षिकरण प्रश्चितियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपप्रास (2) के खंड (1), (1) ग्रीर (1) के साथ पिठत, उपधारा (1) द्वारा प्रदत प्रक्षितमों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निन्निकिश्वत निजन बनाती हैं, प्रपत्ः...

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का नाम महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (कार्यविधि) निथमावली, 1988 है।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं: इन निथमों में जब तक कि संदर्भ में ब्रन्था अपेक्षित न हों:

(क) ''श्रधिनिधम'' से प्रजासनिक अधिकरण श्रधिनिधम 1935 (1985 का 13) श्रभिपेत है;

- (ख) "मभिकर्ता" से किसी पत्तकार द्वारा भागी और से अधिकरण के समन्न भावेदन या लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के निर्सम्पक रूप से प्राधि-कृत किया गया कोई व्यक्ति अभिन्नेत हैं;
- (ग) "ग्रावेदक" से बारा 19 के प्रवीत प्रधिकरण को प्रावेदन करने बाला कोई व्यक्ति प्रभिन्नेत है;
- (घ) "प्रपत्न से परिमिष्ट क" में निर्दिष्ट प्रपत्न अभिनेत हैं;
- (इ) "सरकार" से महाराष्ट्र सरकार मनिश्रेत है।
- (च) "विधि व्यवसानी" का वही अर्थ होगा जो उनका अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) में है।
- (छ) "विधिक प्रतिनिधि" से मृतक की संपदा का कानूनी तौर पर प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ज) प्रधिकरण के संदर्भ में "रितस्टर" उत रिजन्द्रार से अभिनेत है जिसे प्रधान न्यायपीठ में नियुक्त किया गया हो और प्रधिकरण को अन्य न्यायपीठों के संदर्भ में प्रत्येक न्यायपीठ से संबद्ध ऐसा रिजिस्ट्रार अभिप्रेत है जिसे न्यायपीठ विशेष में नियुक्त किया गया हो और इसके अंतर्गत ऐसा कोई अधिकारी भी है जिसको नियम 29 की धारा (2) और (3) के अजीत रिजस्ट्रार की शक्तियां और कृत्य प्रत्यायोजित किए जाएं;

- (झ) "रिजिस्ट्री" से स्थिति अनुसार प्रधिकरण की अयदा अविकरण की स्वायपीठ की रिजिस्ट्री प्रसिप्रेत है:
- (ज) "बारा" से ऋधिनियम की घारा ऋभियेत है;
- (ट) "अन्तरित साबेदन" में ऐसा बाद या अन्य कार्यवाही अभिप्रेत है जो धारा 29 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के स्रवीन अधिक एण को अन्तरित की गई हैं।
- (ठ) "ब्रिधिकरण" से अधिनियम की धारा 4 की उपवारा (2) के ब्रन्तर्गत स्थापित महाराष्ट्रा प्रशासनिक अधिकरण अभिषेत है:
- (ड) इसमें जिन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का इस्तेमान तो किया गया 'है किन्तु जिन्हें इन नियमों में परिमापित नहीं किया गया किंदु जिन की परिभाषाएं अधिनियम में दी गई हैं उनका कमशः बही सर्थ होगा जो कि स्रधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. ग्रधिकरण की भाषा: अधिकरण की भाषा अंग्रजी होती;

परन्तु ब्राधिकरण के समल किसी कार्यवाही के पक्षकार यदि ऐसा चाहें तो मराठी में तैयर की गई दस्तावेंजे भी फाइन कर सकेंगे;

परब्यु यह और कि स्वायपीठ अपने विवकातुसार कार्यवाहियों में मराठी का प्रयोग अनुवात कर सकेंगी किंदु अंतिम आदेश अंग्रेजी में होगा;

- (ख) मामले की सुनवाई करने वाली न्यायगेठ प्रपने विवेकानुसार, पेश की जाने वाली दलीलों और दायर किए जाने वाले दस्तावेंजों का सीधे ही अंग्रेजी अनुवाद करने का आदेश दे सकती है;
- 4. आवेदन फाइल करने की प्रकिश : (1) अधिकरण को आवेदन आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अभिकृती द्वारा या सम्यक्तः प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा रिजस्ट्रार को अथवा आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए रिजस्ट्रार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किनी अन्य अधिकारी को प्रक्ष-1 में प्रस्तुत किश जाएगा या रसीवी रिजस्ट्री डाक द्वारा संबोधित क्यायपीठ के रिजस्ट्रार को संबोधित करके भेजा जाएगा;
- (2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन फाइल के आकार के एक कोरे लिफाफे के साथ जिस पर प्रदाशीं का पूरा पता हो, एक अभिलेख पृस्तिका प्ररूप में तीन पूर्ण सैटों से प्रस्तुत किया जायेगा।
- (3) जहां प्रत्यवियों की संदाा एक से प्रधिक है, वहां प्रावेदक द्वारा फाइल के प्राकार में प्रदेक्षित संख्या में कोरे लिफ:कों के साथ जिन पर प्रत्येक प्रत्यवि का पूर्ण पता होगा, प्रत्यवियों की सदार के बराबर अभिनेख पृस्तिका प्रकृप में आवेदन पत्र की स्रोतिरिक्त प्रतियों प्रस्तुत की जाएंगी।

परन्तु जहां प्रत्याँय में की संख्या पांच से मधिक हो जहां रिजिट्टार प्रस्याँययों को नोटिस जारी करते समय प्रावेदक को मार्वेदन की अतिरिक्त प्रतियां दायर करने की प्रतुमित दे सकता है।

- (4) आवेदक अपने आवेदन के साथ प्रका 11 में एक रनीदी पर्ची संलग्न करेना तथा प्रस्तुत करेगा जिस पर आवेदन पत्र को प्राप्ति की पावती के हप में रिवस्ट्रार द्वारा अथवा रिजिस्ट्रार की और से आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए आहें।
 - (5)(क) उपनिथम (1) से (3) में दो गई किसी बात के बात बूद अधिकरण एक से अधिक व्यक्तियों को मिनाकर एक संगुक्त आबेदन पन्न दायर करने की अनुमति दे सकता है वधर्त कि बाद के हेतुक तथा प्रार्थित राहा के स्वरूप की धरान में रखते हुए अधिकरण इस बात से मंतुन्द हो कि पामने में उत्तरा सनान हित है।
 - (ख) ऐसी अनुसति एक ही आबेदन पत्र से शामिल होने के इच्छुक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने बाली एमोर्कऐंगन को भी दी जा

सकती है किंतु शर्त यह है कि भ्रावेदन पत्न में ऐसे सभी व्यक्तियों के वर्ग/श्रेणी/प्रेड दिएे जाएंगे जिसकी भ्रोर से यह दायर किया

- 5. झावे दनों का प्रस्तुत किया जाना और उनकी संवीक्षा :--
- (1) रजिस्हार या उसके द्वारा नियम 4 के प्रश्रीत प्राधिकत प्रविकारी प्रत्येक प्रावेदन पर वह तारीख पृथ्ठांकित करेगा जिसको वह उस नियम के प्रधीन प्रस्तुत की गई है या प्रस्तुत की गई समझी गई है भीर उन पृथ्ञांकत पर हस्ताक्षर करेगा।
- (2) यदि संबोक्षा पर आवेदन कमानुसार पाया जाता है तो वह संभवतः रिजस्ट्रीकृत किया जाएगा ग्रीर उसे कम संख्योक दिया जाएगा ।
- (3) यदि तंत्रीक्षा पर प्रावेदन सृष्टिपूर्ण पाया जाता है प्रोर दृष्टिगत सृष्टि गरुपित प्रकृति की है, तो रिजस्ट्रार प्रथनी उपस्थिति में उस सृष्टि का परिणोधन करने के लिए पक्षकार को प्रनृत्तात कर सकेगा और यदि उक्त सृष्टि प्रकृपित प्रकृति की नहीं है तो रिजस्ट्रार सृष्टि का परिणोधन करने के लिए प्रावेदन को ऐसा समय प्रनृत्तात कर सकेगा जो यह ठीक समझे।
- (4) यदि संबद्ध आवेदक उपनिथम (3) के प्रधीन भनुकात समय के भीतर बुटि का परिणोधन करने में असफल रहता है तो रिजस्ट्रार ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, आदेश द्वारा आवेदन को रिजस्ट्रार करने से इंकार कर सकेगा और आवेदक को तदनुसार सूचित कर देगा।
- (5) उपनियम (4) के स्नर्धान पारित किसी स्नादेश के विरुद्ध स्नरील स्वयित व्यक्ति द्वारा, ऐसे स्नादेश की तारीख से 15 दिन के भीतर प्रधान व्यापिठ के मामले में सध्यक्ष को. स्नौर किसी स्नय-व्यापिठ के मामले में सध्यक्ष को. स्नौर किसी सन्य व्यापिठ के मामले में संबंधित उपाध्यक्ष को की जाएगी; त्या

ऐसी प्रपील पर संबंधित प्रध्यक्ष प्रथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्रथवा उनकी अनुपस्थिति में प्रध्यक्ष द्वारा किसी विक्षेष प्रथवा सामान्य आदेशके माध्यम से प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा, चैन्वर में ही कार्रवाई की जा सकती है तथा उसका निपटान किया जा सकता है, भी उन प्रशील पर उनका निर्णय श्रीतम होगा।

6. आवेदन फाइल करने का स्थान आवेदन हारा सामान्यतः अवेद न उम न्यायपीठ के रजिस्ट्रार के एस शहर की आएमी विसके केल घिनार में (i) आवेदक फिनहाल तैशत हैं। अवना (ii) कार्रवाई का हेतुक पैदा हुआ हैं। अववा (iii) सामानना प्रथायी आपना प्रशायि में से कोई जिन्हों रहत सामी गई हैं। रहता हैं।

परस्तु जर्न वह है कि ऐसा पावेडन अधिनियम की घारा 25 के अध्य-धीन प्रधान न्यापभीट के निकन्द्रार के यहां दायर किया जा सकता है ऐसे आवेडन पर सुनशई तथा उसका निभटान उस न्यायभीठ द्वारा की जाएगी/ किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में यह मामला आता है।

7. आबंदन फीम: रिजिस्हार के पास फाइन किए गए प्रत्येक आवंदन के साथ 50 रुपय की फीस संलग्न की जाएगी और फीस संबंधित न्यायपीठ के रिजिस्हार के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर लिखे और उस स्देशन पर बैंक की प्रमुख शाखा में देय, जहां न्यायपीठ स्थित है. काम मांगदेय इाफ्ट में प्रस्थ में प्रेपित की जाएगी या मंबंधित न्यायपीठ के रिजिस्हार के पक्ष में लिख और उस स्टेगन के डाक्यर में, जहां कि उक्त न्यायपीठ अवस्थित है. देय काम भागतीय पोस्टल आईर के हारा प्रयित की जाएगी ।

परन्तु बहा अधिकरण या तो एक से अधिक व्यक्तियों **हारा अथवा किसी** एसोसिएशन द्वारा एक हैं। आवदन पत्र दायर कपने की अनुमति देता है तो देख फीस प्रजास रूपये होती।

परन्तु ग्रामे जहां अधिकरण इप बात से संपुष्ट हो। जाती है। कि अपनेदक निर्धतता के आधार पर निर्धारित शुक्का का भुगतान करते में असमर्थ है। तो अधिकरण ऐसे ग्रावेदक को शुक्का के भगतान की पृष्ट दे सकता। है।

8 गानेदन पत्न की विषय-बस्तुः

- (1) नियम 4 के अजीत फाइल किए गए प्रत्येक आदेदन में सुक्षित्र मदों के अधीन संक्षिप्ततः ऐसे आदेदन के आधारों को उपवर्णित किया जाएगा। ऐसे आधार कमणः संख्यांकित किए जाएंग। किती भी प्रकीण आदेदन सहित प्रत्येक आदेदन, अच्छ किस्म के मोट कागज के एक तरफ दोहरी लाइनों में टंकित किए जाएंगे।
- (2) अन्तरम आदेश या निदेश मांगन के लिए पृथक अ वेदन प्रस्तुत करना श्रावश्यक नहीं होना यदि मूल आवेदन में अंतरिम आदेश या निदेश मांगने का निवेदन किया गया है।
- (3) कोई मावेदक धारा 19 के अधीन आवेदन एव दायर करने के साद अन्तरिस आदेश अथवा निदेश के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसा भावेदन पत्न यथासंभव प्रहण-III में होगा।
- श्रावेदन के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेज:--(1) प्रत्येक श्रावेदन के साथ एक श्रभिलेख पुस्तिका संलग्न होगी जिसमें निम्नलिखत होंगे:---
 - (i) उस भादेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरुद्ध आवेदन फाइल किया गया है;
 - (ii) ऐसे सभी दस्तावेजों की प्रतियां जिनका आवेदक द्वारा अवलंब लिया गया है और जिनका आवेदन में उल्लेख किया गया है;
 और
 - (iii) दस्तावेजों की अनुकर्नणका।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों को किसी विधि व्यवसायी द्वारा अपना राजपनित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा तथा प्रत्येक दस्तावेज को अनुबंध क-1; क-2; क-3; तथा आगे भी इसी दंग से कमबद्ध रूप में अंकित किया जाएगा।
- (3) जहां ग्रावेदन पत्र किसी ग्राभिकर्ता द्वारा वायर किया जा रहा हो, वहां ऐसे ग्राभिकर्ता को प्राधिकृत करने वाले दस्तावेज को भी ग्रावेदन के साथ संजयन किया जाएगा :

परन्तुं बहां आवेदन किसी विधि व्यवसायी द्वारा दायर किया गया है तो इसके सम्बद्ध रूप से निष्पादित "वकालतमाना" होगा।

- 10. प्रनेक उपचार:-- ब्रावेदन कार्यवाही के उद्देश्य पर आधारित होगा और इसमें एक या एक से अधिक प्रनुतोषों की मांग की जा सकेगी बशर्ते कि प्राचित अनुतोष ऐ दूसरे के परिणामिक हों।
- 11. प्रधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिस तथा आदेशिकाओं का तामील करना:--
- (1) मधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाला कोई भी नोटिस प्रयवः मादेशिक निम्नलिखित विधियों में किसी एक द्वारा तामील की जाए:—
 - (i) पार्टी द्वारा स्वयं तामील;
 - (ii) बाद तामील करने वाले के माध्यम से दस्ती
 - (iii) रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा; ग्रथवा
 - (iv) ऊपर उल्लिखित किसी भी विधि से संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से।
- (2) जहां ऋधिकरण द्वारा जारी किया गया नोटिस पार्टी द्वारा स्वयं दस्ती रूप से सामील किया जाता है, वहां वह (ब्रावेदक) तामील किए जाने से संबंधित हलफनामें के साथ पावती रजिस्ट्री में दायर करेगा।
- (3) उप नियम (1) में दी गई किसी बात के बावजूद भी अधिकरण प्रत्यियों की संद्या तथा उनके निवास स्थानों अथवां कार्यालय स्थानों तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निदेश दे सकता है कि प्रत्यियों पर भावेदन पत्र का नोटिस प्रनिस्थापन तामील की रीति

- सिंहत किसी अन्य रीति तामील किया जाएगा जो अधिकरण को उचित तथा सुविधिजानक प्रतीत होगा ।
- (4) उप नियम (1) में दी गई किसी बात के वाबजूर भी अधिकरण मामले के स्वरूप तथा अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक पर सरकार अथवा सरकार के किसी विभाग द्वारा नियुक्त स्थायी वकीलों को नीटिस की तामील का निदेश।
- (5) म्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रत्येक नोटिस के साथ जब तक श्रन्थया म्रादेश न हों म्राभिनेख पुस्तिका के साथ म्रावेशन पत्र होगा।
- (6) प्रत्येक आवेदक ऐसे किसी आवेदन पत्र के बारे में जहां प्रत्याधियों की संख्या पांच से अधिक हो आदेशिकाएं तामील तथा निज्यादित किए जाने के लिए निम्नलिखित फीस देगा :---
- (i) पांच से अधिक प्रत्यार्थी होने पर प्रत्येक प्रत्यार्थी के लिए पांच रुपए; भ्रमवा
 - (ii) जबिक तामील ऐसी रीत से किया गया है जैसा कि उप-नियम (3) के प्रधीन प्रधिकरण ने निदेश किया था तो ऐसी राशि जो तामील करने में वास्तव में व्यय हुई हो और प्रधिकरण द्वारा निर्झारित की गई हो :
- (7) उप नियम (3) के स्रधीन स्रावेशिकाएं तामीन करने श्रयवा निष्पादित करने के लिए फीस, फीस निर्धारित करने के स्रावेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्रथवा रिजिस्ट्रार द्वारा स्नृतन बढाए गए समय के भीतर नियम 7 में निर्धारित किए गए तारीके से जमा कराई जाएगी।
- (8) उप नियम (1) से (4) में दी गई किसी बात के होते हुए भी यदि अधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि आवेदन का नोटिस सभी प्रत्याधियों पर तामील करना समुचित रूप से व्यवहायें नहीं है तो वह लिखित किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकता है कि आवेदन पत्र पर सुनवाई इस बात पर ध्यान दिए बिना की जाएगी कि कुछ प्रत्यियों को आवेदन पत्र का नोटिस तामील नहीं किया गया है—

बसर्ती कि किसी भी भावेदन पत्न पर सुनवाई तद तक नहीं होगी जब तक कि---

- (i) भावेदन पत्न का नोटिस केन्द्रीय सरकार प्रथव। राज्य सरकार पर तामील किया गया हो यदि उक्त सरकार एक प्रत्यर्थी हो;
- (ii) म्रावेदन पत्न का नोटिस उस प्राधिकारी पर तामील कर गया है जिसने यह भ्रादेश पास किया था जिसके विषद्ध ग्रावैदन पत्न दायर किया गया है; भ्रथवा
- (iii) अधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि जिन प्रत्यथियों पर अविदेश पत्र का नोटिस तामील नहीं किया गया है जनके हितों का उन प्रत्यथियों द्वारा जिन पर अविदेश पत्र का नोटिस तामील किया गया है, पर्याप्त रूप से प्रतिनिधिस्य होता है।
- 12. प्रस्थर्थी द्वारा उस्तर और भ्रम्य दस्तावेजी का फाइल किया जाना :-
- (1) प्रत्येक प्रत्यथों जो आवेदन का प्रतिवाद करना चाहता है उस पर आवेदन का नोटिस तामीत किए जाने को तारीख के एक मास के भीतर वह रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र का उत्तर देते हुए अभिलेख पुस्तिका के प्रक्ष्य में आवेदन के उत्तर की तीन प्रतियां तथा ऐसे दस्तावेज भी दायर करेगा जिनका उसने अवलंब लिया है।
- (2) उप -ित्यम (1) के प्रधीन दायर प्रावेदत के उत्तर में प्रस्वर्यी ग्रावेदक द्वारा श्रपने ग्रावेदन पक्ष में दिए गए तथ्यों को विधाष्ट रूप से स्वीकार करेगा, इंकार करेगा ग्रथवा स्पष्टीकरण देगा तथा मामले

पर यथोचित निर्णय लिए जाने के लिए ब्रावश्यक समझे जाने वाले ब्रितिरिक्त तथ्यों का उल्लेख भी करेगा। इस पर प्रत्यर्थी द्वारा या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1903 (1903 का 5) के नियम ढंग से उसके द्वारा लिखितरूप में बाकायदा 15 के आदेश VI में विणित प्राधिकृत किए गए सभी किसी इन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और लिखित ब्यान के रूप में अनुप्रमाणित किया जाएगा।

- 3. उप-नियम (2) में उल्लिखित दस्तावेज भी उत्तर के साथ दायर किए जाएंगे तथा इन्हें ब्रार 1, ब्रार 2, ब्रार 3 बीर घागे इसी प्रकार अंकित किया जाएगा ।
- (4) प्रत्यर्थी उप-नियम (1) में यथा वर्णित दस्तावेजों के साथ उत्तर की एक प्रति आविदक पर अथवा उसके विधि व्यवसायी पर, यदि कोई हो, तामील करेगा और ऐसी तामील का प्रमाण रजिस्ट्री में दायर करेगा।
- (5) प्रधिकरण निर्धारित भवधि की समाप्ति के पश्चात् उत्तर दायर करने की भ्रनुमति दे सकता है।
- 13. सुनवाई की तारीख और स्थान का अधिसूचित किया जाना:——
 अधिकरण पक्षकारों को अध्यक्ष द्वारा समान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा
 सथाविनिदिष्ट तरीके से आवेदन की सुनवाई की तारीख तथा स्थान की
 सुचना देगा।
- 14. ग्रधिकरण की बैठक-अधिकरण सामान्यतः ग्रपनी बैठकें न्यू श्रोम्बे, नागपुर तथा औरगांबाद में ग्रायोजित करेगा।

परन्तु क्षते यह है कि यदि किसी समय प्रधिकरण का प्रध्यक्ष इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो प्रधिकरण को इसकी बैठकों को इसके क्षेत्राधिकार से प्रन्य स्थान या स्थानों में भागोजित किए जाने के लिए, जहां वे समान्यतया होती है, बाष्ट्रय करती है तो ऐसी स्थिति में ग्रध्यक्ष यह दिदेश दे सकते हैं कि न्यायपीठ अपनी बैटकें किसी ऐसे उपयुक्त स्थान पर उस ग्रविध के लिए ग्रायोजित कर सकेगा जो विनिर्दिष्ट की जाएं।

15. (1) मामलों का कलैण्डर:--

- (1) प्रत्येक न्यायपीठ स्थानांतरित धावेदन पत्नों की सुनवाई के लिए एक कलैण्डर तैयार करेगा और यथा-संमव मामलों की मुनवाई तथा निर्णय कलैण्डर के अनुसार करेगा।
- (2) प्रत्येक ग्रावेदन पत्न की सुनवाई तथा निर्गय यथोतं गर इसके प्रस्तुत किए जाने के छ: मास के मीतर कर लिया जाएगा।
- (3) ग्रधिकरण को यह ग्रधिकार है कि वह किसी स्थान के लिए मना कर दे और जवानी दलीलों के लिए समय सीमित कर दे।
- 16. ग्रावेदक के व्यक्तिकम के कारण ग्रावेदन पर कार्रवाई:—
 (1) जहां ग्रावेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी ग्रम्य तारीख को जिसके लिए ऐसी सुनवाई स्थगित की गई हो ग्रावेदन पर सुनवाई के लिए पुकार होने पर ग्रावेदक हाजिए नहीं होता है वहां ग्राधिकरण ग्रपने विवेकानुसार या तो व्यतिकम के कारण ग्रावेदन को खारिज कर सकेगा या उसकी सुनवाई करके गुणावगुण के ग्राधार पर इसका विनिश्चय कर सकेगा।
- (2) जहां प्रावेदन व्यक्तिकम के कारण खारिज कर दिया जाता है तथा प्रावेदक खारिज होने की तारीख के तीस दिन के भीतर एक प्रावेदन पत्र दायर करता है तथा ग्रधिकरण का यह समाधान कर देता है कि उसकी उस समय गैर-हाजिरी का पर्याप्त कारण या जब प्रावेदन की सुनवाई के लिए पुकार हुई थी, वहां प्रधिकरण ग्रावेदन को खारिज करने बाले ग्रादेश को ग्रपास्त करने वाला एक ग्रादेश करेगा और उसे बहाल करेगा।

किन्तु, शर्त यह है कि जहां मामले का उसके गुणावगुण के आधार पर निपटान कर दिया गया या वहां पुनरीक्षा को छोडकर निर्णय पर पुन: विचार नहीं होगा ।

- 17. म्रावेदन की एकपक्षीय सुनवाई तथा निषटान:--
- (1) जहां ग्रावेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी ग्रन्य तारीख को जिसको सुनवाई स्थिगत कर दी गई है, ह्यावेदन की सुनवाई के लिए पुकार होने पर यदि ग्रावेदक हाजिर होता है और प्रत्यों हाजिर नहीं होता है तो ऐसी स्थित में ग्राधिकरण ग्राने विवेकान्सार ग्रावेदन को स्थिगत कर सकेगा या उसकी एकतरफा सुनवाई कर सकेगा और ग्रावेदन का विनिश्चय कर सकेगा।
- (2) जहां किसी प्रत्यर्थी ग्रथवा प्रत्यवियों के विषव प्रावेदन पत की सुनवाई एक तरफा हुई हो तो ऐसा/ऐसा प्रत्यर्थी ग्रादेश को निरस्त करने के लिए प्रधिकरण से निवेदन कर सकते हैं और यदि ऐसा / ऐसे प्रत्यर्थी ग्रधिकरण की यह संतुष्टि कर देता हैं/देते हैं कि नोटिस विधिवत् तामील नहीं किया गया था ग्रयवा वह /वे ग्रावेदन की सुनवाई के समय पुकार होने पर पर्याप्त कारणों से हाजिर नहीं हो सके थे तो ग्रधिकरण उसके/उनके विषद एकपक्षीय सुनवाई को निरस्त करने से संबंधित एक ग्रादेश ऐसी शर्तों पर कर सकेगा जो वह उचित समझे और ग्रावेदन पर ग्रागे कार्यवाई के लिए कोई ग्रन्य दिन नियत कर सकेगा:

किन्तु शर्त यह है कि जहां ब्रावेदन पर एक तरफा सुनदाई की प्रकृति ऐसी है कि उसे केवल एक प्रत्यर्थी के संदर्भ में निरस्त नहीं जा सकता, वहां उसे सभी या अन्य प्रत्यियों में से किसी एक के संदर्भ में भी निरस्त किया जा सकता है।

आगे यह भी सर्त है कि नियम 11 के उपनियम (8) के अधीन अगे बाले मामलों में अधिकरण किसी आवेदन की एक पक्षीय सुनवाई केवल इसी आधार पर निरस्त नहीं करेगा कि इसे प्रत्यवीं अवशा प्रत्यियों पर तामील नहीं किया गया था।

- 18. पुनरावलोकन के लिए म्राबेदन का 30 दिन के भीतर फाइल किया जाता: --पुनरावलोकन के लिए किशी भी म्राबेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह जिस म्रादेश के विइद्ध पुनरावलोकन की मांग की गई है उस म्रादेश की तारीख के 30 दिन के भीतर दायर नहीं किया गया हो।
- 19. विधिक प्रतिनिधियों का बदला जाना: --(1) ग्रधिकरण में कायबाहियों के लंबित रहने के दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि ऐसी मृत्यु के 30 दिन के भीतर ग्रनिवार्य पक्षकारों के रूप में रिकार्ड किए जाने के लिए प्रावेदन कर सकते हैं।
- (2) जहां विधिक प्रतिनिधयों से उप नियम (1) में निर्धारित सर्विध के मीतर कोई सावेदन प्राप्त नहीं होता है वहां मृत पक्षकार के विरूद्ध कार्यवाहियां उपशमनित हो जाएंगी:

किन्तु पर्याप्त और सक्षम कारणों के रहते हुए श्रधिकरण, श्रावेदन फाइल किये जाने को स्थिति में उपशमन का प्रादेश निरस्त कर सकेगा और विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित कर सकेगा।

- 20. सुनवाई स्थमित किया जाता :--यदि सुनवाई के दौरान पर्याप्त कारण बतायें जाए तो अधिकरण अविदेश के अधिर पर पक्षकारों को या उनमें से किसी एक को समय दे सकता है अधिकरण ऐसा आदेश देसकता है जो कि वह स्थाप के कारण होने बाते खर्च वाले खर्च के संदर्भ में उचित समझता हो।

- 22. म्रादेशों का प्रकाशन: यदि श्रिष्ठिकरण के किसी आदेश को किसी प्राधिकृत रिपोर्ट या प्रैस में प्रकाशन के लिए ठीक समझा जाए तो ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जहां प्रधिकरण किसी सामान्य या विशेष भादेश द्वारा निर्दिब्द करें; ऐसे प्रकाशन के लिए निर्मुक्त किया जा सकेगा।
 - 23. ग्रादेशों का पक्षकारों को संसुचित किया जाना:---
 - (1) ग्रन्तिरम राहत स्वीकार करने वाले या ग्रस्वीकार करने वाले या संशोधित करने वाले प्रत्येक ग्रनंतिम श्रादेश तथा किसी ग्रावेदन पर पारित ग्रन्तिम श्रादेश ग्रावेदक को और संबंधित प्रत्यर्थी को या तो दस्ती या रिजस्ट्री डाक द्वारा निःशृक्क संसूचित किया जाएगा।
 - (2) यदि कोई प्रावेदक या किसी कार्यवाही के प्रत्यर्थी को किसी दस्तावेज या किसी कार्यवाही की उपलब्धि की प्रावय्यकता हो तो उसे उक्त परिलब्धि अध्यक्ष द्वारा किसी सामान्य अथवा विशेष भादेश द्वारा निर्धारित कीस की भदायगी करने पर तथा अध्यक्ष द्वारा उल्लिखित निवंधनों और शर्ती पर दे दी जाएगी।
- 24. ग्रिभिलेखों का निरीक्षण: --(1) रिजिस्ट्रार को लिखित रूप में ग्राविदन किए जाने पर किसी मामले के पक्षकारों ग्रथवा उनके वकील को मामले के ग्रिभिलेखों को निरीक्षण करने की ग्रनुमित दी जाए।
- (2) ऐसी शर्तों के अध्यक्षीत जो कि अध्यक्ष द्वारा किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित की जा सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति को भी, जो कार्यवाही का पक्षकार न हो, रजिस्ट्रार से लिखित रूप में अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के लिये अनुमति दी जाये।
- 25. कुछ मानलों में आदेश और निर्देश: अधिकरण ऐसे आदेश कर सकेगा या ऐसे निर्देश दे सकेगा जो उसके आदेशों को प्रभावी बताने के लिये या उनके संबंध में या उसकी आदेशिका के दुरूपयोग के निवारण के लिये या न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक या समीचीन हो।
 - 26. विधि व्यवसायी के लिपिक का रिजस्ट्रीकरण:--
 - (1) किसी विधि व्यवसायी द्वारा नियोजित कोई ऐसा लिपिक तब तक उस प्रधिकरण के, जिसमें विधि व्यवसायी सामान्यतः विधि-व्यवसाय करता है, प्रादेशों के प्रभिलेख की पहुंच रखने और प्रधिकरण को न्यायपीठ के ग्रादेशों की प्रतियों प्रभिप्राप्त करते के लिये प्रतृजात नहीं होगा जब तक कि उसका नाम उक्त न्यायपीठ द्वारा रखें गये लिपिकों के रजिस्ट्रार में प्रविष्ट न हो। ऐसा लिपिक "रिजिस्ट्रोइन लिपिक" के रूप में जाना जायेगा।
 - (2) वह विधि-व्यवसायी जो अपने लिपिक का रिजस्ट्रीकरण कराने का इच्छुक है, फार्म-4 में रिजस्ट्रार को आवेदन करेगा। रिजस्ट्रार द्वारा ऐसे आवेदन पत्न पर स्वीकृति दिये जाने पर उसका नाम लिपिकों के रिजस्टर में दर्ज कर लिया जायेगा।
 - (3) लिपिक के रिजस्ट्रीकरण के पश्चात् रिजस्ट्रार उसे एक पहचान-पत जारी किये जाने का निवेश वेगा जो अहस्तान्तरणीय होगा और अधिकरण के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी या अस्य कर्मचारी द्वारा अनुरोध पर धारक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त पहचान पत्न संबंधित स्यायपीठ के उप-रिजस्ट्रार के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा।
 - (4) उप नियम (2) के अधीन रजिस्टर किये गये सभी लिपिकों का एक रजिस्टर प्रत्येक न्यायपीठ के रजिस्ट्रार के कार्यालय में रखा जायेगा।

- (5) एक विधि व्यवसायी एक समय पर दो से प्रधिक रिजस्ट्रीकृत लिपिक नहीं रखेगा जब तक कि रिजस्ट्रार साधारण या विशेष ग्रादेश द्वारा भ्रन्यथा अनुज्ञात न करे।
- (6) जब कभी कोई विधि-व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकृत लिपिक का नियोजन समाप्त कर देता है तो वह तुरन्त उस तथ्य की सूचना, उसके लिपिक को जारी किये गये पहचान पत्न के साथ, रजिस्ट्री द्वारा एक पत्न के माध्यम से रजिस्ट्रार को देगा और ऐसे पत्न की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत लिपिक का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा।
- 27. अधिकरण के कार्य घंटे: ——स्यू बम्बई स्थित प्रक्षिकरण की न्यायपीठ तथा नागपुर और औरंगाबाद स्थित न्यायपीठों के कार्य दिवस तथा कार्य घंटे वही होंगे जो कि सरकारी कार्यालयों में तत्सवंधी स्थानों के मामले में लागू हैं, किन्तु किसी कार्य दिवस को सिवाय प्रत्यावश्यक प्रकार के कार्य को छोड़ कर, 3.30 बजे के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 28. अधिकरण की बैठक के घंटे: —अधिकरण (जिसके अन्तर्गत प्रावकाश न्यायपीठ भी है) की बैठक के घंटे अध्यक्ष द्वारा अथवा अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से संबंधित उपाध्यक्ष द्वारा किये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए सामान्यतथा 10-30 बजे पूर्वाहृन से 1.00 बजे अपराह्न तक और 2.00 बजे अपराहृन से 5.00 बजे अपराहृन तक होंगे।
- 29. रजिस्ट्रार की शक्तियां और इत्य: ——(1) रजिस्ट्रार अधिकरण के स्विभित्ते की स्वभिरक्षा रखेगा और ऐसे अन्य इत्यों का जो उसे इन नियमों के सदीन या अध्यक्ष द्वारा या संबंधित न्यायपीठ के उपाध्यक्ष द्वारा अलग आदेश के सीपे जाये, प्रयोग करेगा।
- (2) रिजिस्ट्रार प्रध्यक्ष अथवा संबंधित न्यायपीठ के उपाध्यक्ष के अनुमोदन से उप रिजिस्ट्रार को रिजिस्ट्रार द्वारा इन नियमों के अधीन किये जाने प्रथम प्रयोग में लाये जाने के लिये अपेक्षित किन्हीं कृत्यों अथवा शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- (3) रिजस्ट्रार की श्रनुपस्थिति में उप-रिजस्ट्रार, रिजस्ट्रार की सभी शिक्तयों का प्रयोग तथा उसके सभी कृत्यों को कर सकेगा।
 - (4) शासकीय मुद्रा (सील) रिजस्ट्रार की श्रिभिरक्षा में रखी जायेगी।
- (5) ब्रध्यक्ष द्वारा किसी साधारण या विशेष निदेश के श्रद्धीन रहते हुए ब्रधिकरण की मुद्रा (सील), सिवाय रिजस्ट्रार या उप-रिजस्ट्रार के लिखित रूप में प्राधिकार के अधीन, किसी भी आदेश, समन या अन्य कार्यवाही पर नहीं लगायी जाएगी।
- (6) श्रधिकरण की मुद्रा (सील), सिवाय रिजस्ट्रार या उप-रिजस्ट्रार के लिखित प्राधिकार के श्रधीन, अधिकरण द्वारा जारी की गई किसी भी प्रमाणित प्रति पर नहीं लगाई जाएगी।
- 30. रजिस्ट्रार की मितिरिक्त शक्तियां और कर्तव्य: ---इन नियमों में मन्यत्र प्रदत्त शक्तियों के मितिरिक्त रजिस्ट्रार को संबंधित न्यायपीठ के मध्यक्ष प्रथवा उपाध्यक्ष के साधारण या विशेष मादेश के मधीन रहते हुए निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त होंगे, मर्थात्:---
 - (1) सभी ग्रावेदन और ग्रन्थ दस्तावेज जिसके अंतर्गत अंतरित ग्रावेदन भी है, प्राप्त करना;
 - (2) ब्रावेदन रिजस्ट्रीकृत किए जाने से पूर्व उनकी संवीक्षा से उद्भूत होने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय करना;
 - (3) श्रधिकरण को प्रस्तुत किए गए किसी धावेदन में श्रधिनियम तथा नियमानुसार संशोधन कराए जाने की श्रपेक्षा करना;
 - (4) संबंधित न्यायपीठों के निदेशों के श्रक्षीत रहते हुए ध्रावेदनों या ग्रन्थ कार्यवाहियों की प्रयम सुनवाई की तारीख नियत करना और उनकी सूचनाएं जारी करना;

- (5) श्रमिलेख के किसी प्ररूपित समोधन का निदेश देना;
- (6) कार्यवाहियों के पक्षकारों को दस्ताविजों की प्रतियां दिलाए जाने का मादेश करना;
- (7) प्रधिकरण के श्रभिलेखों को निरीक्षण करने के लिए स्वीकृति ्देनाः
- (8) सूचनाओं और अन्य आदेशिकाओं की तामील से संबंधित सभी मामलों का निपटारा, नई सूचनाओं के जारी किए जाने के लिए और ऐसे आवेदनों को दायर करने के समय को बढ़ाने के लिए तथा उत्तर अथवा प्रत्येत्तर, यदि कोई हो, को दायर करने के लिए 15 दिन से अधिक समय न देना और उपयुंक्त अवधि की समास्ति पर मामलों को समुचित आदेशों के लिए न्यायग्रीठ के समक्ष प्रस्तुत करना;
- (9) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण की अभिरक्षा से अभिलेखीं की अध्यपेक्षा करना;
- (10) भावेदन के लम्बित रहने के दौरान मृत पक्षकारों के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए मृत्यु की तारीख से 30 दिन के भीतर आवेदन प्राप्त करना;
- (11) वहां के सिवाय जहां प्रतिस्थापन के कारण उप-शमन संबंधी किसी प्रादेश को निरस्त किया जाना हो, प्रतिस्थापन के लिए ग्रावेदन प्राप्त करना तथा उनका निपटारा करना;
- (12) दस्तावेजों की वापती के लिए पक्षकारों द्वारा आवेदन प्राप्त करना तथा उनका निपटारा करना।
- 31. प्रधान न्यायपीठ के रिजस्ट्रार की ग्रितिरिक्त गिक्तियां:— श्रधान न्यायपीठ के रिजस्ट्रार को, ग्रध्यक्ष द्वारा समय समय पर जारी किए गए सामान्य अथवा विशेष ग्रादेशों के ग्रधीन मुचना और प्रभिलेख मंगवाने तथा ग्रन्य न्यायपीठों की रिजस्ट्री की जांच करने ग्रथवा करवाने का ग्रिष्ठकार होगा।
- 32. मुद्रा और संप्रतीक: -- प्रधिकरण की शासकीय मुद्रा और संप्रतीक ऐसा होगा जो सरकार विनिर्दिष्ट करे।
- 33. ग्रधिकरण के सदस्यों और कर्भवारीवृन्द के लिए पोशाक: --- ग्रधिकरण के सदस्यों (जिसके ग्रन्तगंत ग्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं) और ग्रधिकरण के कर्मवारीवृन्द के सदस्यों के लिए पोशाक ऐसी होगी जो ग्रध्यक्ष विनिर्दिष्ट करे।
- 34. पक्षकारों के लिए पोशाक: —-प्रत्येक विधि व्यवसायी या यया-स्थिति प्रस्तुतकर्ता ग्रधिकारी ग्रधिकरण के समक्ष ग्रथनी व्यवसायिक पोशाक में, यदि कोई हों, हाजिर होगा और यदि ऐसी कोई पोशाक नहीं है तो वहां: —-
 - (1) यदि वह पुरुष है तो बंद गले के कोट और पैंट या लाउन्ज सूट में हाजिर होगा;
 - (2) यदि वह महिला है तो सादे रंग की साड़ी या किसी अन्य प्रचलित पोणाक में हाजिर होगी।

परिशिष्ट--क

फार्म-1

(देखिए नियम 4)

प्रशासनिक प्रधिकरण प्रधिनियम 1985 की धारा 19 के ध्रश्रीन भावदन मामले का गीर्पक

कमसं.	उनं दस्ता	वेजों का है	अ्योरा जिनका	पृष्ठ संख्य	ग्रधवलंब	किया गय	T
1.	श्रावेदन प	त्र					
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
		तारीब	प्रयोग के लि ^र			कहरताय	14
		या					
<u> তাক</u>	द्वारा प्राप्ति	त की	तारोख				
रजिस्दू	करण संख	या					•
						हस्ता	क्षर
					₹	ते रजिस	ट्रार

महाराष्ट्र प्रजासनिक प्रधिकरण न्यामपीठ

के मध्य क	ख	भावेदक
और		
ग	ঘ	प्रत्वर्थी

धावेदम के ब्यौर

- 1. ग्रावेदक की विशिष्टियां
 - (1) झाबेदक का नाम
 - (2) पिता/पित का नाम
 - (3) झावेदक की मायु
 - (4) पदनाम तथा उस कार्यालय के ब्यौरे (नाम तथा स्थान) जिसमें ियुक्त हैं, फ्रथना सेवा समाप्त होने से पहले नियुक्त था।
 - (5) कार्यालय का पता
 - (6) नोटिसों की त्रमील का पता
 - प्रत्यथीं की विशिष्टियां :
 - (1) प्रत्यर्थी का नाम
 - (2) पिता/पति का नाम
 - (3) प्रत्ययों की स्रायु
 - (4) पदनाम तथा उस कार्यालय के ब्योर (नाम तथा स्थान) जिसमें नियुक्त है
 - (5) कार्यालय का पता
 - (6) नोटिसों की तामील का पता

जिनका अवलम्ब तिया गमा है 🎼

10. अन्तरिम अव्देश, यदि उसके लिए। प्रार्थना की गई है : -

अ।वेदन पर अस्तिम विनिण्यय पंचित रहते तक आवेदक निम्नलिखित

अंतरिम ग्रादश जारी किये जाने की मांग करता है।

्रिमाग IIखण्ड 3(i)]	भारत
 उस भादेश की जिसके विरुद्ध भावेदन किया गया है, विकिष्कि भावेदन निम्नलिखित यो भादेश के विरुद्ध है : 	टयां
(1) भादेश संख्या भनुत्रंध के संदर्भ	में
(2) तारोख]	
(3) द्वारा पारित किया गया	
(4) संक्षिप्त विषय	
 प्रधिकरण की प्रधिकारित। 	
श्रावेदक यह घोषणा करता है कि उस धादेश की जिसके विरुद्ध ्प्रतितोष पाहता है, विषय-वस्तु ग्रिधिकरण की ग्राधिकारिता के भ्रम्तर्गत	; बह गहै
5. परिसीमाएं	
श्रावेदक यह और घोषणा करता है कि श्रावेदन प्रणासनिक प्रिक्षि श्रिष्ठिनियम 1985 की घारा 21 में विहित परिसीमा के भीतर है।	<u>क र प</u> ो
6. मामले के तच्य:	
मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं :	
(यहां कमानुसार तथ्यों का एक संक्षिप्त कथन दें, प्रत्येक पैरा में संभव निकटतम एक पृथक विवासक तथ्य या प्रत्यथा ग्रन्तविष्ट हों।	यथ।)
 निःशेष किए गए उपचारों के ब्यौरे : 	
भावेदक यह घोषण करता है कि उसने मुसंगत सेवा नियमों के भ्रश्नीन उसकी उपलब्ध सभी उपचारों का उसोग कर लिया है।	म्रादि
(यहां किए गए प्रभ्यावेदनों के ब्यौरे और प्रनुबंधों की संख्या के में ऐसे प्रभ्यावेदनों का परिणाम कमानुसार दें)	संदर्भ
 ऐसे विषय जो पहले किसी ध्रम्य न्यायालय में दायर भ्रथवा ल नहीं है: 	वित
आविदक यह और घोषणा करता है कि उसने उस सामले के स में जिसके बारे में यह अविदन पत्न दिया है किसी विधि न्यायालय किसी अन्य प्राधिकरण अथवा श्रीक्षकरण की किसी अन्य न्यायपीट के स पहले कोई अविदन पत्न, रिट याचिका अथवा वाद न तो पहले द किया था नथा न ही ऐसी कोई आविदन पत्न, रिट याचिका अथवा इनके समक्षा लिखन है ।	यः मक्ष ।यर
यदि प्रावेदकों ने पहले कोई प्रावेदन पत्न, रिट याजिका प्रयक्षा दायर किया था तो उस स्थिति (स्टेज) का उल्लेख करें जिस पर लंबित हैं तथा यदि निर्णय ले लिया गया है तो प्रनुबंध के सदर्भ में नि का सार दिया जाना चाहिए ।	यह
9. मांगे ग ए भनुताय ः	
ऊपर परा ६ में वर्णित को ध्यान में रखक्षर भावेदक निम्नलि भनुतोष(षों) के लिए प्रार्थना करता है :	ভ শ
[नीचे मांगे गए धनुतोष(षों) को विनिर्दिष्ट कर्रें और धनुतोष(के आधार और ऐसे विधिक उपवधों यदि (कोई हो) को स्पष्ट	यों) कों

(यहां कारण देकर उस अन्तरिम आदेश की प्रकृति का उल्लेख करें जिसको प्राथना की गई है) 11. भावेदन पत्न पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने की दशा में यह स्पष्ट किया अ। ए कि क्या प्रावेदक प्रवेश स्तर पर मौखिक सुनवाई की झाकांक्षा करता है यदि ऐसा है तो वह अपना पता लिखा हुआ एक पोस्टकाई/ भन्तर्देशीय पत्न संस्रग्न करें जिस पर सुनवाई की तारीब के बारे में उसे सूचना भेजी जा सके । 12. धावेदन फीस के संबंध में बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल धाईर की विशिष्टिय ा नैंक का नाम जिसका नाम दिया गया है 2. मांगदेय ड्रोफ्ट संख्या या 1. भारतीय पोस्टल ग्राडंर(रों) की संख्या 2. जारी करने वाले आकघर का नाम 3. पोस्टर प्रतर्डर (ब्रार्डरों) के जारी किए जाने की तारीख.... 4. डाकघर जिस पर देय है.. 13. प्रनुलग्नकों की सूची 4. मत्यापनः ---मैं.....(भ्रावेदक का नाम) पुत्र, पत्री, पत्नी......भायु.....भायु..... जो.....कार्यालय में.....को रूप में कार्य कर रहा है/रही हूं और जो.....का निवासी हूं/की निवासी हूं । यह सत्यापित करता हूं /करती हूं कि से..... अक के गैराग्राकों की ग्रन्तर्वस्तु में व्यक्तिगत ज्ञान के धनुसार सही है और पैरा.....से.....से.....तक की घन्तवस्तु को कानुनी सलाह के झाधार पर सस्य समझा जाता है यह कि मैंने किसी भी तालिक तथ्य को नहीं छिपाया है। भ्रावदक के हस्ताझर नारीखः⊸-स्थान:--सेवा में, र्राजस्ट्राट.

THE GAZETTE OF INDIA
फार्मII
[नियम 4 (4) देखें]
- पावती रसीद
श्री/कुमारी/श्रीमती जो के पद तंत्रालय/विभाग/कार्यालय में के पद गर कार्य कर रहा है/कर रही है तथा जिन का निवास स्थान
रनदद्वारा पावती स्वीकार की जाती है ।
कृते रिजिस्ट्रार महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण स्यायपीठ
तःरीखः
मोहरः
महाराष्ट्र प्रज्ञासनिक ग्रधिकरण में पीठ
फार्म-JII
[तियमावली 8(3) देखें]
विधि आवेदन पत्न संख्या का भूल श्रावेदन पत्न संख्या १९ स्थानांतरित
एक्स क्लाम वाई
अ त्रिवेदक
(भ्रावेदक/प्रतिवादी)
प्रश्तिवादी (प्रतिवादी/माजेदक)
· ·
श्रावेदन पत्र का सार-तथ्य •
राहत ग्रथवा प्रार्थेना :
सत्यापनः मैं (ब्रावेदक का नाम). मुपुत्र/मुपुत्री/ पत्नी : शायु के रूप में कार्यरत : शायु के निवासी : के निवासी : के प्रित्त की प्रतिवासी : के निवासी : कि प्रतिवासी : के निवासी : के निव
श्रावेदक के हस्ताक्षर ग्राधिकमाा (एडवोकेट) के हस्ताक्षर
आविष्यतः (५०००००) च वृध्यासः स्थानः
तारीखः

फार्म-{V

[नियम 26(2) देखिए]

लिपिक के रिजस्ट्रीकरण के लिए प्रावेदत

 विधि व्यवसायी का नाम जिसकी ओर से लिपिक का रजिस्ट्रीकरण किया जाना है।

पासपोर्ट ग्राकार की					
सत्यापित	फोटो	चिपकाई			
जाए ।					

	2ः रजिस्द्रीकृत	किए	जाने	साले	लिपिक की	ř
•	यः राजस्त्रकृतः विशिष्टियां	Mid	VII.1	4141	1,41111	
	।वाशाष्ट्रया					

- (i) पूरा नाम (वड़े ग्रक्षरों में)
- (ii) पिताका भाम
- (iii) आयु और जन्म तिथि
- (iv) जन्म स्थान
- (v) राष्ट्रीयता
- (vi) शैक्षिक शहैताएं
- (vii) पूर्व नियोजन, यदि कोई है, की विशिष्टियां।

क्ष..... (ऊपर नःमित लिपिक) यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मुझसे संबंधित ऊपर दी गई तिशिष्टियां सही हैं।

लिपिक के हस्ताक्षर

- 3. क्या विधिक व्यवसायी के पास उसके नियोजन में पहले से ही कोई रजिस्ट्रीकृत लिपिक है ग्रौर क्या रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाला लिपिक बहले से ही रजिस्ट्रीकृत लिपिक के स्थान पर है या उसके अतिरिक्त है।
- क्या रिजस्ट्रीकृत किए जाने वाला लिपिक किसी ग्रन्य विधि व्यवसायी के लिपिक के रूप में पहले से ही रिजस्ट्रीकृत है और यदि हां तो ऐसे विधि व्यवसायी का नाम ।
- र्मे (विधि व्यवसायी) प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी ग्रौर विश्वास के भ्रनुसार सही है भ्रौर यह कि मुझे ऐसे किन्हीं तथ्यों की जानकारी नहीं है जिनसे लिपिक के रूप में उक्त(नाम) का रजिस्ट्रीकरण प्रवाछनीय हो जाएगा । मैं, मेरे द्वारा संयुचित रून से सस्यापित आवेदक की पासपोर्ट आकार की दी फोटो प्रतियों सहित पहचान पत्न की कीमत के रूप में 2.50 रुपए के पोस्टल आईर संलग्न करता हो ।

तारीखः

विधि ब्यवसाधी के हस्ताक्षर

सेवा में.

रजिस्टार: महाराष्ट्र प्रशासनिक ग्रधिकरण, स्था (पिठ

[स. ए-11019/30/86-ए.टी.]

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVAN CES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training) NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 1988

- G.S.R. 485(E).—In exercise of the powers co ferred by sub-section (1) read with clauses (d), (e and (f) of sub-section (2) of section 35 of the A ministrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), th Central Government hereby makes the following rules, namely :-
- 1. Short title and commencement.—(1) The rules may be called the Maharashtra Administrati Tribunai (Procedure) Rules, 1988.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :--
 - (a) "Act' means the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985);
 - (b) "agent" means a person duly authorised by a party to present an application or a written reply on its behalf before the Tribunal;
 - (c) "applicant" means a person making an application to the Tribunal under section 19;
 - (d) "form" means a Form specified in Appendix A;
 - (e) "Government" means the Government of Maharashtra;
 - (f) "Legal practitioner" shall have the same meaning as is assigned to it in the advocates Act, 1961 (25 of 1961);
 - (g) "Legal representative" means a person who in law represents the estate of the deceased;
 - (h) "Registrar" means in relation to the Tribunal the Registrar appointed to the Principal Bench and in relation to each of the other Benches of the Tribunal shall mean the Registrar appointed to the particular Bench and include any officer to whom the powers and functions of the Registrar may be delegated under clauses (2) and (3) of rule 29;
 - (i) "Registry" means the Registry of the Tribunal or of the Bench of the Tribunal as the case may be;
 - (j) "Section" means a section of the Act;
 - (k) "Transferred application" means the suit or other proceeding, which has been transferred to the Tribunal under sub-section (1) or sub-section (2) of section 29;
 - (1) "Tribunal" means the Maharashtra Administrative Tribunal established under sub-section (2) of section 4 of the Act:
 - (m) the words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Language of the Tribunal.—The language of the Tribunal shall be English:
 - Provided that, the parties to a proceeding before the Tribunal may file documents drawn up in Marathi, if they so desire:
 - Provided further that, (a) a Bench may, in its discretion, permit the use of Marathi in the proceedings.

However, the final order shall be in English; 1074 GI/88-2

- (b) the Bench, hearing the matter, may in its discretion, direct English translation of pleadings and documents to be filled.
- 4. Procedure for filing application.—(1) An application to the Tribunal shall be presented in Form I by the applicant in person or by an agent or by a duly authorised legal practitioner to the Registrar or any other officer authorised in writing by the Registrar to receive the same or be sent by registered post with acknowledgement due addressed to the Registrar of the Bench concerned.
- (2) The application under sub-rule (1) shall be presented in triplicate in a paper-book form alongwith one unused file size envelope bearing full address of the respondent.
- (3) Where the number of respondents is more than one, as many extra copies of the application in paper-book form as there are respondents together with unused file size envelope bearing the full address of each respondent shall be furnished by the applicant.

Provided that, where the number of respondents is more than five, the Registrar may permit the applicant to file the extra copies of the application at the time of issues of notice to the respondents.

- (4) The applicant may attach to and present with his application a receipt slip in Form II which shall be signed by the Registrar or the officer receiving the application on behalf of the Registrar in acknowledgement of the receipt of the application.
- (5) Notwithstanding anything contained in subrules (1) to (3), the Tribunal may permit—
 - (a) more than one person to ioin together and file a single application if it is satisfied, having regard to the cause of action and the nature of relief prayed for, that they have a common interest in the matter.
 - (b) Such permission may also be granted to an association representing the persons desirous of ioining in a single application provided, however, that the application shall disclose the classignadeleaterories of the persons on whose behalf it has been filed.
- 5 Presentation and scrutiny of annlications.—
 (1) The Registrar, or the other officer authorised by him under rule 4, shall endorse on every application the date on which it is presented or deemed to have been presented under that rule and shall sign the endorsement.
- (2) If, on scrutiny, the application is found to be in order, it shall be duly registered and given a serial number.
- (3) If the amblication, on scrutiny, is found to be defective and the defect noticed is formed in nature, the Registrar may allow the party to rectify the same in his presence, and if the said defect is not formed in nature, the Registrar may allow the applicant such time to rectify the defect as he may deem fit.
- (4) If the applicant fails to rectify the defect within the time allowed under sub-rule (3), the Regis-

i ,

ř

ा ा र

> ·] N-

on-(e) \dthe

iese tive

ing

application where the number of respondents exceeds five, as under:—

- (i) a sum of rupees five for each respondent in excess of five respondents; or
- (ii) where the service is in such a manner as the Tribunal may direct under sub-rule (3), such a sum not exceeding the actual charges incurred in effecting the service, as may be determined by the Tribunal.
- (7) The fee for the service or execution of processes under sub-rule (3) shall be remitted in the manner prescribed in rule 7 within one week of the date of the order determining the fee or within such extended time as the Registrar may permit.
- (8) Notwithstanding anything contained in subrules (1) to (4), if the Tribunal is satisfied that it is not reasonably practicable to serve notice of application upon all the respondents, it may, for reasons to be recorded in writing, direct that the application shall be heard notwithstanding that some of the respondents have not been served with notice of the application;

Provided that, no application shall be heard unless;

- (i) notice of the application has been served on the Central Government or the State Government, if such Government is a respondent;
- (ii) notice of the application has been served on the authority which passed the order against which the application has been filed; and
- (iii) the Tribunal is satisfied that the interests of the respondents on whom notice of the application has not been served are adequately and sufficiently represented by the respondents on whom notice of the application has been served.
- 12. Filing of reply and other documents by the respondents.—(1) Each respondent intending to contest the application, shall file in triplicate the reply to the application and the documents relied upon in paper book form with the Registry within one month of the service of notice of the application on him.
- (2) In the reply filed under sub-rule (1) the respondent shall specifically admit, deny or explain the facts stated by the applicant in his application and may also state such additional facts as may be found necessary for the just decision of the case. It shall be signed and verified as a written statement by the respondent or any other percenduly authorised by him in writing in the same manner as provided for in Order VI, rule 15 of the Code of Civil Procedure, 1903 (5 of 1903).
- (3) The documents referred to in sub-rule (2) shall also be filed alongwith the reply and the same shall be marked as R1, R2, R3 and so on.
- (4) The respondent shall also serve a copy of the reply alongwith documents as mentioned in sub-

- rule (1) on the applicant or his legal practitioner, if any, and file proof of such service in the Registry.
- (5) The Tribunal may allow filing of the reply after the expiry of the prescribed period.
- 13. Date and place of hearing to be notified.—The Tribunal shall notify to the parties the date and place of hearing of the application in such manner as the Chairman may, by general or special order, direct.
- 14. Sittings of the Tribunal.—The Tribunal shall ordinarily held its sittings at New Bombay, Nagpur and Aurangabad;

Provided that if at any time, the Chairman of the Tribunal is satisfied that circumsances exist which render it necessary to have sittings of the said Bench at any place falling within its territorial jurisdiction, other than the place or places at which it ordinarily sits, the Chairman may direct that the Bench shall held its sittings at any such appropriate place for such period as may be specified.

- 15. Calendar of Cases.—(1) Each Bench shall draw up a calendar for the hearing of transferred cases and, as far as possible, hear and decide the cases according to the calendar.
- (2) Every application shall be heard and decided, as far as possible within six months from the date of its registration.
- (3) The Tribunal shall have the power to decline an adjournment and also to limit the time for oral arguments.
- 16. Action on application for applicant's default.—
 (1) Where on the date fixed for hearing of the application or on any other date to which such hearing may be adjourned, the applicant does not appear when the aplication is called for hearing, the Tribunal may, in its discretion, either dismiss the application for default or hear and decide it on merit.
- (2) Where an application has been dismissed for default and the applicant files an application within thirty days from the date of dismissal and satisfiles the Tribunal that there was sufficient cause for his non-appearance when the application was called for hearing, the Tribunal shall make an order setting aside the order dismissing the application and restore the same:

Provided, however, where the case was disposed of on merits the decision shall not be responed except by way of review.

- 17.Ex-parte hearing and disposal of applicaion.—
 (1) Where on the date fixed for hearing the application or on any other date to which such hearing may be adjourned, the applicant appears and the repondent does not appear when the application is called for hearing, the Tribunal may, in its discretion adjourn the hearing or hear and decide the application ex-parte.
- (2) Where an application has been heard exparte against a respondent or respondents, such respondent or respondents may apply to the Tribunal

for an order to set it aside and if such respondent or respondents satisfy the Tribunal that the notice was not duly served, or that he or they were prevented by any sufficient cause from appearing when the application was called for hearing the Tribunal may make an order setting aside the ex-parte hearing as against him or them upon such terms as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the application:

Provided that where the ex-parte hearing of the application is of such nature that it cannot be set aside as against one respondent only, it may be set aside as against all or any of the other respondents also:

Provided further that in cases covered by sub-rule (8) of rule 11, the Tribunal shall not set aside ex-parte hearing of an application merely on the ground that it was not served upon a respondent or respondents.

- 18. Review application to be filed within thirty days.— No application for review shall be entertained unless it is filed within thirty days from the date of the order of which the review is sought.
- 19. Substitution of legal representatives.—(1) In the case of death of a party during the pendency of the proceedings before the Tribunal, the legal representatives of the deceased party may apply within thirty days of the date of such death for being brought on record as necessary parties.
- (2) Where no application is received from the legal representatives within the period specified in sub-rule (1), the proceedigns against the deceased party shall abate:
 - Provided that on good and sufficient reasons the Tribunal, on an application, may set aside the order of abatement and substitute the legal representatives.
- 20. Adjournment of hearing.—The Tribunal may if sufficient cause is shown at any stage of proceedings grant time to the parties or any of them and adjourn the hearing of the application. The Tribunal may make such order as it thinks fit with respect to the costs occasioned by the adjournment.
- 21. Order to be signed and dated.—(i) Every order of the Tribunal shall be in writing and shall be signed by the Member or Members constituting the Bench, which pronounced the order.
 - (ii) The order shall be pronounced in open court.
- 22. Publication of orders.—Any order of the Tribunal deemed fit for publication in any authoritative report or the press may be released for such publication on such terms and conditions as the Chairman or the Vice-Chairman concerned may specify by general or special order.
- 23. Communication of orders to Parties.—(1) Every interim order granting or refusing or modifying interim relief and final order passed on any application shall be communicated to the applicant and to the respondent concerned either by hand delivery or by registered post free of cost.

- (2) If the applicant or the respondent to any proceeding requires a copy of any document or proceeding the same shall be supplied to him on such terms and conditions on payment of such fees as may be fixed by the Chairman by general or special order.
- 24. Inspection of the records.—(1) The parties to any case or their Counsel may be allowed to inspect the records of the case on making an application in writing to the Registrar.
- (2) Subject to such terms and conditions as may be specified by the Chairman by a general or special order, a person who is not a party to the preceding, may also be allowed to inspect the proceedings after obtaining the permission of the Registrar in writing.
- 25. Orders and directions in certain cases.— The Tribunal may make such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to its orders or to prevent abuse of its process or to secure the ends of justice.
- 26. Registration of legal practitioner's clerks.—
 (1) No clerk employed by a legal practitioner shall act as such in the Tribunal or be permitted to have access to the records and obtain copies of the orders of the Bench of the Tribunal in which the legal practitioner ordinarily practices unless his name is entered in the Register of clerks maintained by the said Bench. Such clerk shall be known as a "Registered Clerk".
- (2) A legal practitioner desirous of registering his clerk shall make an application to the Registrar in form IV. On such application being allowed by the Registrar, his name shall be entered in the Register of Clerks.
- (3) After registration of the clerk, the Registrar shall direct the issue of an identity card to him which shall be non-transferable and shall be produced by the holder upon request by an officer or other employees of the Tribunal authorised in this behalf. The identity card shall be issued under the signatur of the Deputy Registrar of the Bench concerned.
- (4) A Register of all the clerks registered unde sub-rule (2) shall be maintained in the office of th Registrar of each Bench.
- (5) A legal practitioner shall have at a time no more than two registered clerks unless the Registra by general or special order othewise permits.
- (6) Whenever a legal practitioner ceases to emplo a registered clerk, he shall notify the fact at one to the Registrar by means of a letter enclosing ther with the identity card issued to his clerk by the r gistry, and on receipt of such letter the name of the said registered clerk shall be struck off from the R gister.
- 27. Working hours of the Tribunal.—The wor ing days and hours of the Bench of the Tribunal New Bombay and of the Benches at Nagpur as Aurangabad shall be the same as in the case of t office of the Government at the respective places, t no work, unless of an urgent nature, shall be adm ted after 3.30 p.m. on any working day.

- 28. Sitting hours of the Tribunal.—The sitting hours of the Tribunal (including a vacation Bench) shall ordinarily be from 10.30 a.m. to 1.00 p.m and 2.00 p.m to 5.00 p.m. subject to any order made by the Chairman or by Vice-Chairman concerned with the prior approval of the Chairman.
- 29. Powers and functions of the Registrar.—(1) The Registrar shall have the custody of the records of the Tribunal and shall perform such other functions as are assigned to him under these rules or as may be assigned by the Chairman or the Vice-Chairman of the Bench concerned by separate order.
- (2) The Registrar may with the approval of the Chairman or or the Vice-Chairman of the Bench concerned, delegate to the Deputy Registrar any function or power required by these rules to be performed or exercised by the Registrar.
- (3) In the absence of the Registrar, the Deputy Registrar may exercise all the powers and perform all the functions of the Registrar.
- (4) The official seal shall be kept in the custody of the Registrar.
- (5) Subjects to any general or special direction by the Chairman, the seal of the Tribunal shall not be affixed to any order, summons or other process save under the authority in writing of the Registrar or the Deputy Registrar.
- (6) The seal of the to any certified copy under the authority in the Deputy Registrar.

 Tribunal shall not be affixed issued by the Tribunal save writing of the Registrar or
- 30. Additional powers and duties of Registrar.—In addition to the powers conferred elsewhere in these rules, the Registrar shall have the following powers and duties subject to any general or special order of the Chairman or the Vice-Chairman of the Bench concerned, namely:—
 - (i) to receive all applications and other documents including transferred applications;
 - (ii) to decide all questions arising out of the scrutiny of the applications before they are registered;
 - (iii) to require any application presented to the Tribunal to be amended in accordance with the Act and the rules;
 - (iv) subject to the directions of the respective Benches to fix the date of first hearing of the applications or other proceedings and issue notices thereof;
 - (v) to direct any formal amendment of records;
 - (vi) to order grant of copies of documents to parties to the proceedings;
 - (vii) to grant leave to inspect the records of the Tribunal;
 - (viii) to dispose of all matters relating the service of notices or other processes, applications for the issue of fresh notices and for extending the time for filing such applications

- and to grant time not exceeding 15 days for filing a reply or rejoinder, if any, and to place the matter before the Bench for appropriate orders after the expiry of the aforesaid period;
- (ix) to requisition records from the custody of any court or other authority;
- (x) to receive applications within thirty days from the date of death for substitution of legal representatives of the deceased parties during the pendency of the application;
- (xi) to receive and dispose of applications for substitution, except where the substitution would involve setting aside an order of abatement;
- (xii) to receive and dispose of applications by parties for return of documents.
- 31. Additional powers of the Registrar of the Principal Bench.—The Registrar of Principal Bench shall have the power to call for information and records and to inspect or cause to be inspected the Registry of the other Benches under General or special orders as may be issued by the Chairman from time to time.
- 32. Seal and emblem.—The official seal and emblem of the Tribunal shall be such as the Government may specify.
- 33. Dress of the Members and staff of Tribunal.—The dress for the Members of the Tribunal (including Chairman and Vice-Chairman and Members of the Staff of the Tribunal shall be such as the Chairman may specify.
- 34. Dress of the parties.—A legal Practitioner or, as the case may be, a presenting officer shall appear before the Tribunal in his professional dress, if any, and if there is no such dress—
 - (i) if a male, in a closed collared coat and trousers or in a lounge suit;
 - (ii) if a female, in a saree or any other customary dress of a sober colour.

[No. A-11019 30 86-AT]

APPENDIX A

FORM I

(See rule 4)

APPLICATION UNDER SECTION 19 OF THE ADMINISTRATIVE TRIBUNALS ACT, 1985

Title of the Case:

INDEX

- S. No. Description of documents Page No. relied upon
 - 1. Application
 - 2.

3.

4.

5.

6.

Signature of the applicant

For use in Tribunal's Office

Date of filling

or Date of Receipt by post.

Registration No.

Signature for Registrar

THE MAHARASHTRA ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

BENCH

BETEEN

A

APPLICANT

AND

RESPONDENT

D DETAILS OF APPLICATION:

В

- 1. Particulars of the applicant:
 - (i) Name of the applicant
 - (ii) Name of Father/Husband
 - (iii) Age of the applicant
 - (iv) Designation and particulars of office (Name and station) in which employed/or was last employed before ceasing to be in service.
 - Office address
 - (vi) Address for service of notices
- 2. Particulars of the respondent:
 - (i) Name of the respondent
 - (ii) Name of Father/Husband
 - (iii) Age of the respondent
 - (iv) Designation and particulars of office (Name and station) in which employed.
 - (v) Office address
 - (vi) Address for service of notices.
- 3. Particulars of the order against which application is made.

The application is against the following order:-

- With reference to Annexure (i) Order No.
- (ii) Date
- (iii) Passed by
- (iv) Subject in brief.
- 4. Jurisdiction of the Tribunal:

The applicant declares that the subject matter of the order against which he wants redressal is within the jurisdiction of the Tribunal.

5. Limitation:

The applicant further declares that the application is within the limitation prescribed in section 21 of the Administartive Tribunals Act, 1985.

6. Facts of the case:

The facts of the case are given below:-(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue, fact or otherwise).

7. Details of the remedies exhausted:

The applicant declares that he has availed of all the remedies available to him under the relevant service rules, etc.

(Give here chronologically the details of representations made and the outcome of such representations with reference to the Annexure numbers).

8. Matters not previously filed or pending with any other court.

The applicant further declares that he had no previously filed any application, writ petition or sui regarding the matter in respect of which this applica tion has been made, before any court of law or any other authority or any other Bench of the Tribuna and nor any such application, writ petition or sui is pending before any of them.

In case the applicants had previously filed an application, writ petition or suit, the stage at whic it is pending and if decided, the gist of the decisio should be given with reference to the Annexures.

9. Relief(s) sought :

In view of the facts mentioned in para 6 above th applicant prays for the following relief(s):-

(Specify below the relief(s) sought explaining th ground for relief(s) and the legal provisions (if any relied upon).

10. Interim order, if any prayed for:

Pending final decision on the application, the app cation seeks issue of the following interim order :-

(Give here the nature of the interim order pray for with reasons).

- 11. In the event of application being sent by Res tered post, it may be stated whether the applicate desires to have oral hearing at the admission states. and if so, he shall attach a self-addressed Post Car Inland Letter, at which intimation regarding the d of hearing could be sent to him.
- 12. Particulars of Bank Draft/Postal Order respect of the application fee:
 - 1. Name of the Bank on which drawn
 - 2. Demand Draft No.

- 1. Number of Indian Postal Order(s)
- 2. Name of the issuing Post Office

r v •	
িনাগ II-⊶অতঃ 3(i)] শাং	त का ″ाजपत्र ∤ श्र साक्षारण
3. Date of issue of Postal Order(s)	X
4. Post Office at which payable.	
13. List of enclosures:	
1. 2.	Y
3. * 4.	Br
VERIFICATION	Re
I, (name of applicant) S o, D o, W o	the _
Age work as resident of	S¦o, D¦o Working
hereby verify that the contents of paras ———————————————————————————————————	verify the
Signature of the application Date:	Place:
Place:	,
То	
The Registrar,	
	APPLICA
FORM II	
[See Rule 4(4)]	1. No th
RECEIPT SLIP	
Receipt of the application filed in the Maharasht Administrative Tribunal — Bench to Shri/Kum. Smt. — working as — in the Department Office of —	р у —
residing at is hereby acknowledged	(1)
For Registrar Maharashtra Administrative Tribuna	al (ii)
Date :	h (iii)
Seal:	(iv)
	(v)
IN THE MAHARASHTRA ADMINISTRATIVE TRIBUNAL	g (vi)
BENCH	(vii)
FORM III	1 -

[See rule 8(3)]

Application No. - of 19-

in

— of ~

THE PARTY OF

Misc. Application No. -

Original

Transferred

15 XXXApplicant Applicant Respondent) Vs. YYYRespondent (Respondent Applicant) Brief facts leading to the application: Relief or Prayer: Verification: the I ~ - (name of the applicant) Slo, Dlo, Wlo -—— age working as -- in the office of verify that the contents of para _____ to ____ are true to on legal advice and that I have not suppressed any material fact. Signature of the Applicant Place: nt Date: Signature of the Advocate FORM IV [See rule 26(2)] APPLICATION FOR THE REGISTRATION OF A CLERK Name of legal practitioner on whose behalf the clerk is to be registered. Particulars of the clerk to be registered. (i) Fuli Name: Attested passport (in capital) size photograph to be pasted. (ii) Father's Name: (iii) Age and Date of Birth: (iv) Place of birth: (v) Nationality: (vi) Educational Qualifications: (vii) Particulars of previous employment, if any: - (Clerk above named) do hereby affirm that the particulars relating to me given above are true. Signature of clerk.

Whether the legal practitioner has a clerk al-

ready registered in his employ and whether the clerk sought to be registered in lieu of or

in addition to the clerk already registered.

4. Whether the clerk sought to be registered is aready registered as a clerk of any other legal practitioner and if so, the name of such practitioner.

Signature of the legal practitioner

Date:

To

The Registrar,

Maharashtra Administrative Tribunal,

-Bench.

[No. A-11019]30[86-AT]

सा.का.नि. 486(अ) .--केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण प्रश्नितियम, 1985(1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (अ), (ङ) और (च) के साथ पठित, उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निम्मलिखित नियम बनाती हैं, प्रयंत् :---

- (1) संक्षिप्त नाम ग्रौर प्रारम्भः ---(1) इन नियमों का नाम मध्य प्रदेश प्रजासनिक ग्रधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, 1988 है:
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र भें इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृक्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं :---इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;
 - (क) "म्रिधिनियम" से प्रशासनिक म्रिधिकरण म्रिधिनियम, 1985 (1985 का 13) म्रिभिनेत है;
 - (ख) "अभिकर्ता" से किसी पक्षकार द्वारा अपनी ओर से अधिकरण के समक्ष अविदन या लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकत किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत हैं;
 - (ग) "ग्रावेदक" से धारा 19 के ग्रधीन ग्रधिकरो को ग्रावेदन करने वाला कोई व्यक्ति ग्रामिश्रेत हैं;
 - (ध) "प्रपन्न" से परिधिष्टि "क" में निर्दिष्ट पात मनिरेष् है;
 - (ड़) "सरकार" से मध्य प्रदेश सरकार ग्रभिप्रें न हैं ३
- (च) "विधि कावसायी" का वहीं प्रयं होगा जो उसका मिल्याना मिधिनियम, 1961 (1961 का 25) में है।
 - (च) "विधि व्यवसायी" का वहीं प्रयं होगा जो उसका अधिवक्ती अधिनियम, 1961 (1961 का 25) में हैं ।
 - (छ) "विधिक प्रतिनिधि" से मृतक की संपद्म का कान्ती तौर पर प्रतिनिधित्व करने वाला ब्यक्ति ग्रभिप्रेत हैं;
 - (ज) प्रधिकरण के संदर्भ में "रिजस्ट्रार" उस रिजस्ट्रार से प्रभिन्नेत है जिसे प्रधान न्याय पीठ में नियुक्त किया गया हो जोर प्रधि-करण की अन्य न्यायापीठों के संदर्भ में प्रस्थेक न्यायपीठ से

सम्बद्ध ऐसा रिजस्ट्रार अभिनेति है जिसे न्याप्रपीठ विशेष में नि गुक्त किया गया हो और इसके अंतर्गत ऐसा कोई अधिकारी भी है जिसको नियम 29 की धारा (2) और (3) के अधीन रिजस्ट्रार को शक्तियों और कृत्य प्रत्याकीजित किए जाएं;

- (झ) "रजिस्ट्री" से स्थिति ग्रनुसार ग्रधिकरण की अथवा अधिकरण की न्यायपीठ की रजिस्ट्री /प्रिकिपेत है;
- (ङ) "धारा" से प्रधिनियम की धारा प्रभिन्नेत है;
- (ट) "अन्तरित आवेदन" से एसा वाद या अना कार्यवाही अभिनेत हैं जो धारा 29 की जपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अधीन अधिकरण को अन्तरित की गई है;
- (ठ) "ग्रविकरण" से ग्रभिनियम की धारा এ की उपधारा (2) के अंतर्गत स्थापित मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण प्रभिप्रेत है;
- (ड) इसमें जिन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल तो किया गया है किन्तु जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया किन्दु जिनकी परिभाषाएं, अधिनियम में दी गई हैं जनका कमशः वहीं अर्थ होगा जो कि अधिनियम में बुंउन्हें दिया गया है।
 - अधिकरण की भाषा : अधिकरण की भाषा अप्रेजी होगी ;

परन्तु प्रधिकरण के समझ किसी कार्यवाही के पक्षकार यदि ऐसा चाहें तो हिन्दी में तयार की गई दस्ताकों मी फाइल कर सकेंगे;

परन्तु यह और कि न्यायशेष्ठ अपने विवेकानुसार कार्यवाहियों में हिन्दी का प्रयोग अनुतात कर सहेंगी किन्दु स्रोतिम आदेश संग्रेतों में होता;

- (ख) मामले की मुनबाई करों बोली न्यायपीट ग्रंपों विवेकानुसार पेश की जाने वाली दलीलों श्रीर दायर किए जाने वाले दस्तावेजों का सीधे ही श्रंप्रेजी श्रनुवाद करने का श्रादेश दे सकती हैं;
- 4. आवेदन फाइल करने की प्रकिया -- (1) अधिकरण को आवेदन भावेदक द्वारा व्यक्तिगप रूप से या किसी अभिकर्ता द्वारा या सम्यकतः प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा रिजस्ट्रार को अथवा आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए रिजस्ट्रार द्वारा निवित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रक्प-1 में प्रस्तुत किया जाएगा या रसीदी रिजस्ट्री डाक द्वारा सम्बोधित न्यायपीठ के रिजस्ट्रार को संबोधित करके में जार्गाः
- (2) उप-नियम (1) के अधीन आवीत जाइल के आकार के एक कोरे लिफाफे के साथ जिस पर प्रत्यर्थी का पूरा पता हो, एक अभिनेख पुस्तिका प्ररूप में तीत पूर्ण सेटों से प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) जहां प्रत्यियों की संख्या एक से अधिक है, -वहां भावेदक द्वारा फाइल के भाकार में अपेक्षित संख्या में कोरे लिफाफों के साथ जिन पर प्रत्येक प्रत्यर्थी का पूर्ण पता होगा, प्रत्यियों की संख्या के वराबर भिलेख पुस्तिका प्ररूप में आबेदन पत्र को अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी:

परन्तु जहां प्रत्याधियों की संख्या पोच से ग्रधिक हो वहां रिजस्ट्रार प्रत्याधियों को नोटिस जारी करते समय ग्रावेदक को ग्रावेदन की भित-रिक्त प्रतियो दायर करने की ग्रनुमति देसकता है।

- (4) प्रावेदक प्रपने व्यावेदन के साथ प्ररूप II में एक रसीदी पर्ची संलग्न करेगा तथा प्रस्तुत करेगा जिस पर प्रावेदन पत्न की प्राप्ति की पावती के रूप में रिजिस्ट्रार द्वारा प्रथवा रिजिस्ट्रार की द्वोर से ब्रावेदन पत्न प्राप्त करने वाले ब्रिधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- (5) (क) उपित्रम (1) से (3) में दो गई किसी बात के बावचूद प्रधिकरण एक से मधिक व्यक्तियों को मिलकर संगुक्त सावेदन पत दोष्टर करने की प्रनुमति दे सकता है बबतें कि बाद के हेतुक तथा